



OFFICE OF THE DIRECTOR OF INCOME TAX (EXEMPTION)

6TH FLOOR, PIRAMAL CHAMBERS, PAREL, MUMBAI-400 012

022-24137883 (D) / 24132731 EXTN: 2616

No.DIT(E)/ITO(Tech)/80G/1190/2010-11

Dated : 01.04.2011

The Trustee/s,
SHREE ANIRUDDHA AADESH PATHAK,
Flat No. 503, Link Apartment,
TPS III, Khari Village, Khar (W),
Mumbai-400 052.

PAN - AAJ CS 7194 M

With reference to your application in Form No. 10G filed on **25.03.2011** for seeking renewal of certificate issued u/s.80G of the Act it is brought to your knowledge that an amendment was made to section 80G(5)(vi) through Finance Act (No.2) 2009.

In view of the same there is no need to seek renewal of the certificate already issued u/s.80G and which is valid upto 31.03.2011. The same certificate is valid from 01.04.2011 **onwards till it is rescinded** and subject to the same conditions and also subject to the condition that your case should not be hit by the newly inserted proviso to section 2(15) of the Act.

This issues with the prior approval of Director of Income-Tax (Exemptions), Mumbai.



(D.S. TALIKOTI)
Income-tax Officer (E)(HQ),
for DIT(E), Mumbai.

Copy to : 1. Master File

I.T.O.(E)(HQ) for DIT(E), Mumbai.

कार्यालय, आयकर निदेशक (छूट)
छठी मंजिल, पीरामल चैम्बर्स, लालबाग मुंबई ४०००१२

आदेश संख्या : आ.नि.(छूट)/मु.न./८०-G/1854/2007/2008-09

निर्धारित का नाम और पता : **SHREE ANIRUDDHA AADESH PATHAK**
Flat No.503, Link Apartment, TPS III,
Khari Village, Khar (W), Mumbai 400 052.
12A रजिस्ट्रेशन सं. : TR/40035 dated 19/05/2006
आवेदन की तारीख : 01/02/2008
स्था.ले.सं : AAJ CS 7194 M
आदेश की तारीख : 31/07/2008

आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (01/04/2008 से 31/03/2011 तक वैध)
(प्रारंभिक /नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन /आवेदक के मामले की सुनवाई के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था ने आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत उपधारा (५)के की शर्तों को पूरा किया है. निम्नांकित किसी शर्त की अवज्ञा दुरुपयोग कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएँ दाता संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेंगी. संस्था को ८०-जी की यह छूट निम्न शर्तों पर दी जाती है

- i) संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी (5) (iv) के अधीन - धारा १२ए (बी) - के अनुपालन के साथ करवायेगी.
- ii) दानदाताओं की दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह रूप से छपवाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है.
- iii) न्यास /संस्था के विलेख (deed)में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी.
- iv) यदि संस्था धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा १२(ए), धारा १२ए(१)(बी)के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी.साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी.
- v) धारा ८०-जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जायेगा
- vi) संस्था दानदाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय ऊपर वर्णित प्रतिबद्धता का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का दुरुपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो.
- vii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जाएगी.
- viii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा ८०-जी (५)(iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति या समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा.
- ix) संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ-कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए औरबताए गए हेतुओं को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के क्रिया कलाप कहीं किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.
- x) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आरितियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा.
- xi) धार्मिक व्यय कुल आय के ५% से अधिक नहीं होगा.

आयकर अधिनियम १९६१,की धारा ८० जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता



(आर.के.सिन्हा)

आयकर निदेशक (छूट), मुंबई.